

विवेकपूर्ण मानदंड - सी आर ए आर की संगणना के लिए जोखिम भार

I. ए. निधिकृत जोखिम आस्तियां

आस्ति मदें		जोखिम भार	
I.	शेष राशि		
	i.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) शेष राशि	0
	ii.	शहरी सहकारी बैंकों के चालू खातों में शेष राशि	20
	iii.	अन्य बैंकों के चालू खातों में शेष राशि	20
II.	निवेश		
	i.	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	ii.	केंद्र सरकार /राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	iii.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो (इसमें इंदिरा /किसान विकास पत्रों तथा बांड एवं डिबेंचरों में निवेश शामिल हैं जहां ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो)	2.5
	iv.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो।	2.5
	नोट : प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान या मूलधन की चुकौती की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और जो एक गैर-निष्पादित निवेश बन गया है, पर 102.5 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।		
	v.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र / राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।	22.5
	सरकारी उपक्रमों की सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां जो अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, में निवेश।	22.5	
vi.	(ए)	वाणिज्यिक बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों पर दावे जैसे सावधि जमा राशियां, जमा प्रमाणपत्र आदि	20
	(बी)	अन्य शहरी सहकारी बैंकों पर दावे जैसे मीयादी / सावधि जमा राशियां	

	vii.	अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी बांडों में निवेश।	102.5
	viii.	सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओ द्वारा अपनी टियर - II पूंजी के लिए जारी बांडों में निवेश	102.5
	ix.	आस्ति पुर्नसंरचना कंपनी द्वारा जारी बांड/डिबेंचर/प्रतिभूति रसीदों में निवेश	102.5
	x.	अन्य सभी निवेश नोट: अमूर्त आस्ति और टियर I पूंजी से घटाए गए नुकसान को शून्य भार माना जाना चाहिए।	102.5
	xi.	'डब्ल्यूआई' प्रतिभूतियों में तुलन पत्रेतर (नेट) स्थिति, स्क्रिप-वार।	2.5
III.	ऋण और अग्रिम		
	i.	खरीदी तथा भुनाई गई हंडियों तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत अन्य ऋण सुविधाओं सहित ऋण और अग्रिम	0
	ii.	किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण	0
	iii.	किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अग्रिम जो अनर्जक अग्रिम बन गया हो	100
	iv.	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया ऋण	100
	v.	स्थावर संपदा ऋण	
	(ए)	व्यक्तियों को दृष्टिबंधक आवासीय आवास ऋण	
		- ₹30.00 लाख रुपये तक (एलटीवी अनुपात* = या < 75%)	50
		- ₹30.00 लाख रुपये से अधिक (एलटीवी अनुपात = या < 75%)	75
		- ऋण राशि की परवाह किए बिना (एलटीवी अनुपात >75 %).	100
	(बी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	100
	(सी)	अन्य किसी प्रयोजन के लिए सहकारी / ग्रुप आवासीय समितियां तथा आवासीय बोर्ड	100
	(डी)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा - आवासीय आवास	75
	* एलटीवी अनुपात की गणना अंश में खाते में कुल बकाया के प्रतिशत (अर्थात "मूल + उपार्जित ब्याज + ऋण से संबंधित अन्य शुल्क" बिना किसी नेटिंग के) और विभाजक में बैंक में गिरवी रखी गई आवासीय संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य के रूप में की जानी चाहिए।		
	vi.	खुदरा ऋण तथा अग्रिम	
	(ए)	वैयक्तिक ऋण सहित उपभोक्ता ऋण	125
	(बी)	स्वर्ण और चाँदी के आभूषणों पर 1 लाख रुपये तक के ऋण	50
	(सी)	शिक्षा ऋण सहित अन्य सभी ऋण तथा अग्रिम	100

	(डी)	शेयरों / डिबेंचरों की प्राथमिक / संपार्श्विक जमानत पर दिए गए ऋण	127.5
	vii.	<u>पट्टाकृत आस्तियां</u>	
	(ए)	किराए पर खरीद / पट्टा संबंधी गतिविधियों से जुड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिन्हें अब आस्ति वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की पात्र गतिविधियों के लिए ऋण तथा अग्रिम।	100
	(बी)	किराए पर खरीद / पट्टा संबंधी गतिविधियों से जुड़ी गैर-जमाराशिग्राही प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी-एन डी-एस आई) को ऋण तथा अग्रिम	125
	viii.	डीआईसीजीसी / ईसीजीसी की परिधि में आने वाले अग्रिम	50
		नोट : 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होना चाहिए, न कि खातों में पूरे बकाया शेष राशि तक। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशि 100% जोखिम वजन वहन करेगा।	
	ix.	दिनांक 07 सितंबर 2022 के परिपत्र – विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा – क्रेडिट गारंटी योजनाओं द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिमों के लिए जोखिम भार में उल्लिखित शर्तों को संतुष्ट कर रहे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत सीमा तक अग्रिम। गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया बकाया राशि पर उचित जोखिम-भार लागू होगा	0
	x.	मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पॉलिसियों, एनएससी, आईवीपी और केवीपी जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है, के लिए अग्रिम	0
	xi.	बैंकों के कर्मचारियों को ऋण, जो पूरी तरह से सेवानिवृत्ति लाभों और प्लैट/घर के बंधक द्वारा कवर किए गए हैं	20
		नोट : जोखिम भार के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उधारकर्ता के कुल निधिकृत और गैर-निधि एक्सपोजर की गणना करते समय, बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया एक्सपोजर के प्रति 'नेट-ऑफ' कर सकते हैं -	
	(ए)	नकद मार्जिन या जमा द्वारा संपार्श्विक अग्रिम,	
	(बी)	उधारकर्ता के चालू या अन्य खातों में जमा शेषराशि जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं हैं और किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त हैं,	
	(सी)	किसी भी आस्ति के संबंध में जहां मूल्यहास या अशोध ऋण के लिए प्रावधान हो गया है,	

	(डी)	डीआईसीजीसी / ईसीजीसी से प्राप्त दावों और संबंधित खातों में बकाया राशि के खिलाफ समायोजित नहीं किए जाने की स्थिति में समायोजन के लिए एक अलग खाते में रखा गया है।		
IV.	अन्य आस्तियां			
	1.	परिसर फर्नीचर तथा फिक्सचर	100	
	2.	अन्य आस्तियां		
		(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
		(ii)	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए सी आर आर शेष पर उपचित ब्याज	0
		(iii)	कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज	20
		(iv)	बैंकों से प्राप्त ब्याज	20
(v)	अन्य सभी आस्तियां	100		
V.	खुली स्थिति में बाजार जोखिम			
	1.	विदेशी मुद्रा खुली स्थिति पर बाजार जोखिम (केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)	100	
	2.	खुली स्वर्ण स्थिति पर बाजार जोखिम	100	

I. बी. तुलन पत्रेतर मदें

तुलन पत्र से इतर मदों से जुड़े ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार पहले तुलन पत्र से इतर मदों में से प्रत्येक की अंकित राशि को 'क्रेडिट रूपांतरण कारकों' से गुणा करके की जानी चाहिए। उसके बाद उसे ऊपर दिए गए अनुसार संबंधित प्रति-पक्षकार पर लागू भारों से पुनः गुणा किया जाए।

क्र सं	लिखत	क्रेडिट रूपांतरण फैक्टर (%)
1	वित्तीय गारंटी/प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापन उदा. ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में सेवा करने वाले स्टैंड एल / सी सहित) और स्वीकृति (स्वीकृति के स्वरूप के साथ परांकन सहित)	100
2	निष्पादन गारंटी/संबंधित आकस्मिक मर्दे (उदाहरण के लिए विशेष लेनदेन से संबंधित वारंटी और स्टैंडबाय एल/सी)	50
3	अल्पकालिक स्वपरिसमापक व्यापार से जुड़ी आकस्मिकताएं (जैसे अंतर्निहित पोतलदान द्वारा संपार्श्विकृत दस्तावेजी क्रेडिट)	20
4	विक्री तथा पुनर्खरीद करार तथा अवलंब के साथ आस्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक पर हो।	100
5	फॉरवर्ड एसेट खरीद, फॉरवर्ड डिपॉजिट और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शम्स और प्रतिभूतियाँ, जो कुछ डॉ डाउन के साथ प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।	100
6	नोट जारी करने की सुविधाएं तथा उनसे जुड़ी हामीदारी सुविधाएं	50
7	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली अन्य वचनबद्धताएं (जैसे औपचारिक वैकल्पिक सुविधाएं तथा क्रेडिट लाइन्स)	50
8	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली समरूपी वचनबद्धताएं अथवा जिन्हें किसी भी समय बेशर्त निरस्त किया जा सकता हो	0
	(i) अन्य बैंकों की प्रति गारंटियों पर बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटियां	20
	(ii) बैंकों द्वारा स्वीकृत दस्तावेजी हुंडियों की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा भुनाई गई हुंडियां जिन्हें किसी अन्य बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, को किसी बैंक पर एक निधिकृत दावा माना जाएगा।	20
9	नोट : इन मामलों में बैंकों को पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि वास्तव में जोखिम सीमा अन्य बैंक पर है। एलसी के तहत खरीदे गए/भुनाए गए/परक्रामित किए गए बिल (जहां लाभार्थी को भुगतान 'रिजर्व के तहत' नहीं किया गया है) को एलसी जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा, न कि उधारकर्ता पर। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी परक्रामणों को जोखिम भार सौंपा जाएगा जो कि पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए आम तौर पर अंतर-बैंक एक्सपोजर पर लागू होता है। परक्रामणों के मामले में 'रिजर्व के तहत' एक्सपोजर को उधारकर्ता के ऊपर के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार जोखिम भार सौंपा जाना चाहिए।	
10	मूल परिपक्वता* के कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएँ -	
	14 कैलेंडर दिवसों से कम	0
	14 दिवसों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	2

प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष अथवा उसके भाग के लिए	3
* यदि इस अनुबंध के पैरा ॥(3) में विनिदष्ट प्रभावी द्विपक्षीय जाल संविदाएं लागू हैं, इस अनुबंध के पैरा ॥ (1.3)(a) में दिए गए प्रावधान के अनुसार विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए क्रेडिट रूपांतरण फैक्टर (सीसीएफ़) और विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए "शून्य" प्रतिशत का सीसीएफ़ जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिनों या उससे कम है, लागू नहीं होगा	
नोट :	
जोखिम भार के समनुदेशन के प्रयोजन के लिए किसी उधारकर्ता के कुल निधिकृत और गैर-निधि एक्सपोजर की गणना करते समय, बैंक चालू या अन्य खातों में उधारकर्ता क्रेडिट शेष के कुल बकाया एक्सपोजर के प्रति 'नेट-ऑफ़' करें जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं हैं और किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त है।	
ऊपर बताए अनुसार परिवर्तन कारक लागू करने के बाद, समायोजित तुलन पत्रेतर मूल्य को निर्धारित किए गए अनुसार फिर से संबंधित प्रतिपक्ष पर आरोप्य भार से गुणा किया जाएगा।	

टिप्पणी: वर्तमान में, शहरी सहकारी बैंक अधिकतर तुलन पत्रेतर लेनदेन नहीं कर रहे हैं। तथापि, उनके विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तुलन पत्रेतर मदों के प्रति जोखिम-भार दर्शाए गए हैं जिन्हें भविष्य में शहरी सहकारी बैंक व्यवहार में लाएं।

I. अतिरिक्त जोखिम भार (केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)

1. विदेशी विनिमय तथा ब्याज दर संबंधित संविदाएं

1.1 विदेशी विनिमय संविदाओं में निम्नलिखित शामिल है:

- (ए) क्रॉस करेंसी स्वैप
- (बी) फॉरवर्ड विदेशी विनिमय संविदा
- (सी) मुद्रा फ्यूचर्स
- (डी) खरीदे गए मुद्रा ऑप्शन
- (ई) समान प्रकार की अन्य संविदाएं

1.2 ब्याज दर संबंधी संविदा में निम्नलिखित शामिल है:

- (ए) एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप
- (बी) बेसिस स्वैप
- (सी) फॉरवर्ड दर करार
- (डी) ब्याज दर फ्यूचर्स
- (ई) खरीदे गए ब्याज दर ऑप्शन
- (एफ) समान स्वरूप की अन्य संविदाएँ

1.3 जैसा कि अन्य तुलनपत्रेतर मदों के मामले में किया जाता है, नीचे निर्धारित की गई दो-स्तरीय गणना का प्रयोग किया जाएगा:

(ए) चरण 1 - प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशि को नीचे दिए गए परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक	
	ब्याज दर संविदा	विदेशी विनिमय संविदा
एक वर्ष से कम	0.5%	2%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1.0%	5% (i.e. 2% + 3%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0%	3%

इस अनुबंध के पैराग्राफ 11.3 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध लागू होते हैं, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परिवर्तन कारक लागू होंगे⁶:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक	
	ब्याज दर संविदा	विदेशी विनिमय संविदा
एक वर्ष से कम	0.35%	1.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	0.75%	3.75% (i.e. 1.5% + 2.25%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	0.75%	2.25%

(बी) चरण 2 - जैसा कि ऊपर 1-ए में दिया गया है, इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

टिप्पणी: वर्तमान में, अधिकतर शहरी सहकारी बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं कर रहे हैं। तथापि, जिन शहरी सहकारी बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी का लाइसेंस दिया गया है वे ऊपर उल्लिखित लेनदेन कर सकते हैं। किसी विशेष लेनदेन के लिए जोखिम भार निर्धारित करने में किसी अनिश्चितता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

2. कॉर्पोरेट बांड में रेपो

शहरी सहकारी बैंक जो रेपो लेनदेन में निधियां उधार देते हैं, उन्हें ऐसे ऋण/निवेश एक्सपोजर पर यथा लागू जोखिम भार के अनुरूप प्रतिपक्ष ऋण जोखिम प्रदान करना आवश्यक है।

⁶ फॉरवर्ड विदेशी विनिमय संविदाओं और अन्य समान संविदाओं जिसमें काल्पनिक मूलधन नकदी प्रवाह के बराबर है, के लिए नेटिंग प्रतिपक्ष को क्रेडिट एक्सपोजर की गणना के प्रयोजनों हेतु मूल क्रेडिट रूपांतरण कारक (अर्थात्, द्विपक्षीय नेटिंग के प्रभाव पर विचार किए बिना) को सांकेतिक मूलधन पर लागू किया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर देय होने वाली शुद्ध प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी स्थिति में उपरोक्त घटाए गए कारकों को निवल काल्पनिक राशियों पर लागू नहीं किया जाए।

3. द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध की मान्यता की आवश्यकता:

(ए) शहरी सहकारी बैंक निवल लेन-देन कर सकते हैं, जिसके तहत यूसीबी और उसके प्रतिपक्ष के बीच किसी दिए गए मूल्य की तारीख पर किसी मुद्रा को वितरित करने का कोई दायित्व, कानूनी रूप से पिछले सकल दायित्व के लिए एक एकल राशि को प्रतिस्थापित करते हुए स्वचालित रूप से उसी मुद्रा और मूल्य तिथि के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है।

(बी) शहरी सहकारी बैंक निवल लेन-देन भी कर सकते हैं बशर्ते वे (ए) में शामिल नहीं किए गए द्विपक्षीय नेटिंग के किसी भी कानूनी रूप से वैध हो, जिसमें अन्य प्रकार के नवप्रवर्तन भी शामिल हैं।

(सी) दोनों मामलों (ए) और (बी) में शहरी सहकारी बैंक को यह संतुष्ट करना होगा कि उसके पास:

(i) प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग अनुबंध या समझौता जो एक एकल विधिक दायित्व बनाता है, जिसमें सभी शामिल लेनदेन शामिल हैं, जैसे कि शहरी सहकारी बैंकों के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या प्रतिपक्षकार द्वारा चूक, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह की परिस्थितियों में से किसी भी कारणवश कार्य-निष्पादन करने में विफल रहने की स्थिति में शामिल व्यक्तिगत लेनदेन के धनात्मक और ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों के केवल निवल योग का भुगतान करने का दायित्व होगा।

(ii) लिखित और तर्कसंगत कानूनी राय है कि, कानूनी चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतों और प्रशासनिक प्राधिकरणों को इस तरह की शहरी सहकारी बैंकों का एक्सपोज़र ऐसी निवल राशि के तहत मिलेगा:

- अधिकार क्षेत्र का कानून जिसमें प्रतिपक्षकार चार्टर्ड है और, यदि प्रतिपक्षकार की विदेशी शाखा शामिल है, तो उस अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत भी जिसमें शाखा स्थित है;
- व्यक्तिगत लेनदेन को नियंत्रित करने वाला कानून; और
- नेटिंग को प्रभावित करने के लिए आवश्यक किसी भी अनुबंध या समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून।

(iii) प्रासंगिक कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में नेटिंग व्यवस्था की कानूनी विशेषताओं की समीक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं।

(डी) इन दिशानिर्देशों के तहत पूंजी आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य से नेटिंग के लिए विनिर्भर खंड (वॉकअवे क्लॉज) वाले अनुबंध पात्र नहीं होंगे। विनिर्भर खंड (वॉकअवे क्लॉज) एक ऐसा प्रावधान है जो एक गैर-चूककर्ता प्रतिपक्षकार को यह अनुमति देता है कि वे चूककर्ता की आस्ति के लिए, केवल सीमित भुगतान या कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है, भले ही चूककर्ता एक निवल लेनदार हो।